स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

1.	योजना का नाम	**"स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार"** योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	"स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार" योजना एक सर्वांगीण कार्यक्रम के रूप में स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित करती है। इसके अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों का चयन कर उनको कलस्टरों में क्रियान्वित करने, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करने, व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन करने, उनकी क्षमता विकसित करने के साथ ही प्रशिक्षण, अवसंरचना प्रौद्योगिकी, साख एवं विपणन के क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को सरकारी अनुदान तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाकर आय-वृद्धि करने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी की रेखा से उपर उठाना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1 अप्रेल 1999 (लगातार)
4.	लाभान्वित वर्ग	बी.पी.एल.

5.	पात्रता	बी.पी.एल.
6.	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन पत्र द्वारा
7.	आवेदन कहां किया जावे	पंचायत समिति
8.	आवेदन के साथ औपचारिकतायें	बी.पी.एल. सूची, 2002 में प्रार्थी का नाम अंकित होना चाहिए।
9.	सम्पर्क सूत्र	परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (एसजीएसवाई)